फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री धुलचन्द **विपक्षी :– श्री गोपीलाल**

किस्म मुकदमा – 53,88,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 224/21**

जीसीएमएस : 2021/635

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक : 14.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पीडी पालना रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पीडी पालना रिपोर्ट से न्यायालय भी संतुष्ठ हैं। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैः–

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामचन्द्र पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/1	0.0891	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0891**	**–**	**0.05**
2	ओमप्रकाश गीता फुली धापु कमला पिता मोहनलाल सुथार ही.ब. सा. देह खातेदार	868/2	0.0890	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.05**
3	धुलचन्द पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/3	0.0890	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.05**
4	गोपीलाल पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/4	0.0890	खा.द्वि.	0.04
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.04**
5	मांगीबाई जानीबाई पिता रूपलाल सुथार सा. देह ही.ब.	**शुन्य**			

चूंकि खातेदार जानीबाई पुत्री रूपलाल एवं मांगीबाई पुत्री रूपलाल प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित था जो बंटवाडा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण हटा दिया गया है लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।

अंतिम पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मनसुख राम डामोर, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 224/21 (वाद)

जीसीएमएस : 2021/635

उनवान

1. श्री धुलचन्द पिता रूपलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री गोपीलाल पिता रूपचन्द उर्फ रूपलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्री रामचन्द्र पिता रूपलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. श्रीमती मांगीबाई पुत्री रूपलाल पत्नी शंकरलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
4. श्रीमती जानीबाई पिता रूपलाल पत्नी भंवरलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5. श्री ओमप्रकाश पिता मोहनलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
6. श्रीमती गीता पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
7. श्रीमती फुली पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8. श्रीमती धापु पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9. श्रीमती कमला पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी सालेराकलां तह. मावली।
10. तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2024 को मनसुख राम डामोर, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रामचन्द्र पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/1	0.0891	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0891**	**–**	**0.05**
2	ओमप्रकाश गीता फुली धापु कमला पिता मोहनलाल सुथार ही.ब. सा. देह खातेदार	868/2	0.0890	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.05**
3	धुलचन्द पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/3	0.0890	खा.द्वि.	0.05
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.05**
4	गोपीलाल पिता रूपलाल सुथार सा. देह खातेदार	868/4	0.0890	खा.द्वि.	0.04
	योग	**किता 1**	**0.0890**	**–**	**0.04**
5	मांगीबाई जानीबाई पिता रूपलाल सुथार सा. देह ही.ब.	**शुन्य**			

नोट–1. **चूंकि खातेदार जानीबाई पुत्री रूपलाल एवं मांगीबाई पुत्री रूपलाल प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित था जो बंटवाडा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण हटा दिया गया है लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।**

2. उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली